Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में पुलिस थाना माँढ़ण का उपनिरीक्षक थानाधिकारी एवं हैड कानिस्टेबल 25 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *10 फरवरी, शुक्रवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर–प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये मुकेश यादव उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी एवं प्रद्युम्न सिंह यादव हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना माँढ़ण, पुलिस जिला भिवाड़ी, जिला अलवर को परिवादी से **25 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर–प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके शराब की दुकान को निर्बाध रूप से चलने देने एवं आबकारी का मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में मुकेश यादव उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी एवं प्रद्युम्न सिंह यादव हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना माँढ़ण, पुलिस जिला भिवाड़ी, जिला अलवर द्वारा **30 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में एसीबी की अलवर–प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री प्रेमचंद** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये मुकेश यादव उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी एवं प्रद्युम्न सिंह यादव हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना माँढ़ण, पुलिस जिला भिवाड़ी, जिला अलवर को परिवादी से **25 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी थानाधिकारी एवं हैड कानिस्टेबल द्वारा पूर्व में परिवादी द्वारा रिश्वत देने से मना करने पर उसके विरूद्ध दिनांक 29–1–2023 को आबकारी ऐक्ट के दो प्रकरण दर्ज किये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।